



-:प्रेस नोट:-

दिनांक-04.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को 8000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 8000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 68/15 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त 1. विद्याभूषण पुत्र रामस्वरूप 2. शिवभूषण पुत्र रामस्वरूप 3. विनोद पुत्र रामस्वरूप निवासी गण ग्राम महोतरा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 102/19 धारा 60 आबकारी अधि० के अभियुक्त रामभवन पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम अर्जुनाह थाना गिरवां जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।